

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 26, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. ए-3-74-2014-1-पांच (63).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम में, अनुसूची दो में, भाग तीन-क में,—

(एक) अनुक्रमांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“7. सिगार, चुरूट, तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी, तथा अन्य विनिर्मित तम्बाकू उत्पाद 27”;
(सिगरेट को छोड़कर) जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है.

(दो) इस प्रकार स्थापित किए गए अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“8. सिगरेट 13”.

2. यह संशोधन प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-74-2014-1-पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-74-2014-1-पांच (63), दिनांक 17 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th December 2014

No. F-A-3-74-2014-1-V (63).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule II of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said Act, in Schedule II, in Part-III-A,—

- (i) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“7. Cigars, cheroots, cigarillos of tobacco, bidies and other 27”;
manufactured tobacco products (other than cigarettes)
including gudaku and pan masala.

- (ii) after serial number 7 as so substituted, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

“8. cigarettes 13”.

2. This amendment shall come into force from the date of publication.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.